

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्‍नोई
2. प्रकरण संख्या : 02/2022
3. उनवान : रघुवीर सिंह शेखावत पुत्र स्व. देवी सिंह शेखावत,
निवासी- लालासर, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला
जयपुर राजस्थान

–प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. मालीराम पुत्र श्री चौथमल शर्मा, जाति ब्राह्मण,
निवासी- लालासर, तहसील किशनगढ़ रेनवाल,
जिला जयपुर राजस्थान।
2. श्रीमती मधु कंवर पत्नी श्री हिम्मत सिंह शेखावत,
जाति राजपूत, निवासी- लालासर, तहसील
किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर राजस्थान।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत लालासर, तहसील किशनगढ़
रेनवाल, जिला जयपुर राजस्थान।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, किशनगढ़
रेनवाल, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण/ गैरनिगरानीकर्ता

4. निर्णय दिनांक : 08-05-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री भवानी सिंह निगरानीकार की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार शुक्ला गैर निगरानीकार
संख्या 2 की ओर से।



निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि ठिकाना लालासर द्वारा एक पट्टा जागीर के समय बालू व चौथा जोशी पुत्र श्री चन्दरा जोशी के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया गया। बालू व चौथा जोशी की मृत्यु हो गई। जिसके नवीनीकरण के प० मु०नं० 52 दायर दिनांक 13.07.91 फैसल दिनांक 07.08.1991 द्वारा उक्त पट्टे का नवीनीकरण मालीराम पुत्र चौथमल शर्मा के नाम से दिनांक 21.08.1998 को प्रशासक ग्राम पंचायत लालासर द्वारा किया गया। जिसका कुल क्षेत्रफल 1567.32 वर्गगज है। उक्त पट्टा मालीराम के हक में जारी किया गया तथा उक्त पट्टे के आधार पर मालीराम ने मधु कंवर को दिनांक 31.08.2021 को बेचान कर दिया। पंचायत एक्ट में पट्टा नवीनीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि ठिकाना लालासर द्वारा जागीर के समय बालू व चौथा पुत्र चन्दरा जोशी के नाम संयुक्त रूप से पट्टा दिया था। पट्टा नवीनीकरण के समय उनके वारिसान को बिना नोटिस दिये मालीराम द्वारा पेश नक्शे को प्रमाणित कर नवीनीकरण दर्शाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 मालीराम के आवेदन पत्र में न तो सीमाएं हैं, न ही नाप दी हुई है, मनमाने रूप से नक्शा बनाते हुए पंचायत में पेश किया गया है। पंचायत द्वारा बिना मौका देखे 07.08.1991 को पंचायत सलाहकार समिति द्वारा मौका देखने की रिपोर्ट करते हुए पट्टा जारी कर दिया। ठिकाने के पट्टे में दो पेड़ों का हवाला नहीं दिया गया है, ना ही नाप जोक लिखी हुई है। ग्राम पंचायत लालासर द्वारा पट्टा नवीनीकरण हेतु न तो कोई रसीद जारी की, न ही पत्रावली तैयार की गई, न

ही निरीक्षण हेतु पंचो को नियुक्त किया गया, न ही पंचायत में प्रस्ताव लिया गया। पंचायत द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है कि मालीराम के कब्जे में कितनी जमीन थी और कितने का पट्टा दिया जाना चाहिए था, कब्जे के बारे में कोई फाईन्डिंग नहीं की गई। मालीराम द्वारा पेश नक्शा में स्थान पर ज्यादातर अन्य व्यक्ति के मकान बने हुये है जिसको न तो कोर्ट नोटिस दिया गया है ना ही आपत्ति आमंत्रित की गई है। पंचायत एक्ट में पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी करने का उल्लेख है। कहीं भी नवीनीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है। पंचायत द्वारा न तो नवीनीकरण की फीस ली गई, न ही पत्रावली तैयार की गई, न ही कोई आपत्तियाँ आमंत्रित की गई, मात्र नक्शे पर ही पुराने पट्टे के आधार पर नवीनीकरण किया गया। पंचायत एक्ट के अनुसार विनियमितिकरण मात्र 300 वर्गगज की भूमि का ही किया जा सकता है। पंचायत द्वारा जो पट्टे का विनियमितिकरण किया गया वह 1567.32 वर्गगज का किया गया जो कि पंचायत नियमों की अनदेखी करते हुए जारी किया गया है। उक्त पुराने पट्टे में न तो खसरा नम्बरान है न ही कौनसे खसरा नम्बर की भूमि में दिया गया है, न ही सरपंच द्वारा जो नक्शा बनाया गया उसमें उस नक्शे का हवाला दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2021 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया गया। जब पट्टा ही अवैध है एवं शून्य है तो विक्रय पत्र स्वतः ही अवैध एवं शून्य है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी निगरानीकर्ता का कब्जा है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि निगरानीकर्ता अप्रार्थी संख्या 1 के हक में ग्राम पंचायत लालासर द्वारा पूर्व में ठिकाने द्वारा जारी पट्टे का नवीनीकरण दिनांक 21.08.1991 को किया गया, जिसके पं०मु०न० 52 दायर दिनांक 13.07.1991 फैसल दिनांक 07.08.1991 को मालीराम शर्मा पुत्र श्री चौथमल शर्मा के हक में जो पट्टे का नवीनीकरण किया गया उसको अपास्त फरमाया जावे।

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित है कि प्रार्थी निगरानीकर्ता ने दिनांक 28.02.2022 को जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत लालासर के यहाँ मालीराम के हक में जारी किये गये पट्टा व नवीनीकरण की प्रति चाही तथा आदेश की व पंचो की रिपोर्ट चाही। उस पर ग्राम विकास अधिकारी ने उक्त प्रार्थना पत्र लेकर यह अंकित कर दिया कि प्रार्थी को अन्य व्यक्ति के पट्टे से सम्बन्धित रिकॉर्ड की सूचना नियमानुसार नहीं दी जा सकती और उक्त प्रार्थना पत्र को लौटा दिया गया। इसलिए उक्त निगरानी पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी को उक्त पट्टे की पूर्व में जानकारी नहीं थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने पंचायत में पट्टा नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 1991 में पेश किया व नवीनीकरण का आदेश 21.08.1991 को हुआ व उक्त नवीनीकरण के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 मधु कंवर को 31.08.2021 को बेचान कर दिया। जिस पर सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 08.03.2022 को जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया। निगरानी पेश करने में हुये विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किया जाकर निगरानी को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना आवश्यक है।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने स्थगन प्रार्थना पत्र, या०पं० लालासर का बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, विक्रय पत्र 31.08.2021 की प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शुक्ला एवं गैरनिगरानीकार संख्या 3 की ओर से मदन लाल कुडी उपस्थित हुए।

गैरनिगरानीकार संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित है कि दिनांक 31/8/2021 को विक्रय पत्र से खरीदना स्वीकार हैं। कभी भी उक्त भूखण्ड पर निगरानीकार का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं रहा है। पंचायत ने विधि सम्मत नवीनीकरण किया है जिसे जवाबदाता क्रय कर मौके पर काबिज है। चूंकि दिनांक 28/2/2022 को निगरानीकार को जानकारी होना व पुनः दिनांक 8/3/2022 को जानकारी होना अंकित किया है। दो बार अलग-अलग जानकारी होना संदेहास्पद व गलत है। ठिकाने के पट्टे के नवीनीकरण का आदेश दिनांक 21/8/1991 आवेदन 1991 व जवाबदाता का बैचान दिनांक 31/8/2021 का होना अंकित किया है। जबकि उक्त ठिकाने के पट्टे से संबंधित कार्यवाही 1991 से निगरानीकार को रही है। प्रस्तुत निगरानीधीन आदेश से व उसकी सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया से निगरानीकार को शुरु से ही (वर्ष 1991 से) जानकारी रही है, के बावजूद 31 वर्ष बाद निगरानी जानकारी के बावजूद मियाद बाहर पेश की गई। निगरानीकार का उक्त निगरानी पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है चूंकि प्रस्तुत निगरानी में कहीं भी ऐसा तथ्य उल्लेखित नहीं है, जहां निगरानीकार का किसी भी प्रकार से हित निहित हो अथवा हित प्रभावित हो रहा हो। निगरानी में यह कही भी अंकित नहीं किया है कि उसको ठिकाने के पट्टे एवं नक्शा स्वीकृति की जानकारी कब व कैसे हुई तथा उसकी नकल कब व कैसे प्राप्त की तथा कही भी ऐसा उल्लेख नहीं है। निगरानीधीन पट्टे के नवीनीकरण को खारिज करवाने हेतु विधिक प्रक्रिया अनुसार पंचायत समिति में अपील का प्रावधान है। जवाबदाता ने विधिसम्मत गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी ठिकाने के पट्टे भूखण्ड को प्रतिफल अदा कर, विक्रय पत्र गैर निगरानीकार संख्या 1 से अपने हक में तस्दीक करवाकर बतौर काबिज स्वामी हैं, किना विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट में चुनौती दिये निगरानी प्रस्तुत की है। जागीर रिजम्पशन के बाद सम्पूर्ण भूमि सरकार की रही। भूमि गैर मुमकिन पट्टे व गैर निगरानीकार संख्या 1 चौथाराम का वारिस होने के कारण उनकी मृत्यु पुरान्त ठिकाने पट्टे का पंचायती राज नियमों की पालना में विधि सम्मत मात्र नक्शा नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाकर मात्र नक्शा स्वीकृती जारी करवाया जिसका विक्रय पत्र जवाबदाता के हक में निष्पादित किया गया व मौके पर कब्जा जवाबदाता को संभलाया, और जवाबदाता मौके पर काबिज हैं। उक्त अपीलाधीन ठिकाने के पट्टे के नक्शे नवीनीकरण से किस प्रकार से प्रभावित रहा तथा ना ही कहीं यह उल्लेख किया कि कहीं भी वादकारण कैसे उत्पन्न हुआ। जवाबदाता की क्रयशुदा भूमि जो ठिकाने के पट्टे की भूमि मालीराम को विरासत से प्राप्त हुई है। मालीराम को उक्त ठिकाने से प्राप्त पट्टे की जगह अन्य कोई पट्टा पंचायत द्वारा जारी नहीं कर मात्र ठिकाने से जारी पट्टे की जगह की नाप जोक कर उसके तैयार नक्शे की नवीनीकरण मौके अनुसार किया है न कि कोई पट्टा जारी किया है। ऐसी स्थिति में जब पंचायत द्वारा कोई पट्टा मालीराम के हक में जारी ही नहीं किया गया तो खारिज किस पट्टे को करवाना है, कहीं भी अंकित नहीं होने से उक्त विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

अन्त में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि ठिकाना लालासर द्वारा एक पट्टा जागीर के समय बालू व चौथा जोशी पुत्र श्री चन्दरा जोशी के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया गया। बालू व चौथा जोशी की मृत्यु हो गई। जिसके नवीनीकरण हेतु ग्राम पंचायत लालासर में मालीराम पुत्र चौथा द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर उक्त पट्टे

का नवीनीकरण ग्राम पंचायत लालासर द्वारा दिनांक 21.08.1991 द्वारा जारी किया गया। जिसके पं०मु०न० दायर दिनांक 13.07.91 फैसल दिनांक 07.08.1991 द्वारा उक्त पट्टे का नवीनीकरण मालीराम पुत्र चौथमल शर्मा के नाम से दिनांक 21.08.1998 को प्रशासक ग्राम पंचायत लालासर द्वारा किया गया। पंचायत एक्ट में पट्टा नवीनीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी पंचायत के प्रशासक द्वारा पट्टे का नवीनीकरण कर दिया गया। ठिकाना लालासर द्वारा जागीर के समय बालू चौथा पुत्र चन्द्रश जोशी के नाम से संयुक्त रूप से पट्टा दिया था। जिसमें पट्टा नवीनीकरण के समय मात्र मालीराम के प्रार्थना पत्र पर नवीनीकरण किया गया, अन्य वारिसानो को कोई नोटिस नहीं दिया गया। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अन्य वारिसानों को पट्टा नवीनीकरण करते समय नोटिस दिया जाना चाहिए था। अकेले मालीराम को पट्टा नवीनीकरण का कोई अधिकार नहीं था। पट्टा नवीनीकरण हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। पट्टे में न तो सीमाएं हैं, ना ही नाप लिखी हुई है, मनमाने रूप से मालीराम के नक्शे को ही पंचायत द्वारा बिना मौका देखे हुए दिनांक 07.08.1991 को पंचायत सलाहकार समिति द्वारा बिना मौके की रिपोर्ट के पट्टा नवीनीकरण किया गया। ठिकाना लालासर द्वारा जो पट्टा जारी किया गया था उसमें दो पेड़ों का कतई कोई हवाला नहीं है ना ही कोई नापजोक है, न ही पंचायत द्वारा कोई नक्शा बनाया गया है। मात्र मालीराम के द्वारा बनाये गये नक्शे पर ही नवीनीकरण किया गया है। ग्राम पंचायत लालासर द्वारा पट्टा नवीनीकरण हेतु ना तो कोई रसीद जारी की गई, ना ही पत्रावली तैयार की गई, ना ही मौके का निरीक्षण करने हेतु पंचो को नियुक्त किया गया, ना ही मौका निरीक्षण करने हेतु कोई कार्यवाही की, ना ही कोई आपत्तिया आमंत्रित की। बिना आपत्तियों को आमंत्रित किये ही पट्टे का नवीनीकरण कर दिया जो कि विधि के विरुद्ध है। पंचायत द्वारा कोई भी पट्टा जारी किया जाता है तो उससे पूर्व पंचो की नियुक्ति की जाती है, आपत्तियां आमंत्रित की जाती है तथा सार्वजनिक स्थल पर नोटिस चस्पा किया जाता है। ऐसा पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। पंचायत ने अपने निर्णय में लिखा है कि मालीराम द्वारा नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा उसके द्वारा पेश नक्शे को ही प्रमाणित करने का निवेदन किया। जबकि मौके का नक्शा होना आवश्यक है। ठिकाने के पट्टे में दो पड़ों का कही कोई हवाला नहीं है तथा नापजोक भी नहीं है। ना ही यह उल्लेख किया गया है कि मालीराम के कब्जे में कितनी जमीन थी, कितनी जमीन का पट्टा दिया जाना चाहिए था। कब्जे के बारे में कोई फाईन्डिंग नहीं दी गई है जो मालीराम द्वारा नक्शा पेश किया गया था उसमें ज्यादातर अन्य व्यक्तियों के मकानात बने हुए हैं जिनसे कोई आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई, न ही उनको कोई नोटिस दिया गया। मालीराम को किस प्रकार कब्जा मानते हुए मालिक माना गया कोई फाईन्डिंग नहीं दी गई ना ही मौके का निरीक्षण किया गया, ना ही पंचायत के पंचों की रिपोर्ट ली गई। पंचायत एक्ट में पुराने गृहों का विनियमितीकरण करने का उल्लेख है, उसमें पट्टा नवीनीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है, बिना नियमों को देखे समस्त पंचायत एक्ट को अन्दाज करते हुए उक्त पट्टा नवीनीकरण किया गया। पुराने गृहों का विनियमितीकरण भी 300 वर्गगज से ज्यादा नहीं किया जा सकता। जबकि प्रशासक द्वारा मनमाने रूप से पूर्व पश्चिम 100 उत्तर दक्षिण 114 फीट अर्थात् 1266.66 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया जो पंचायत नियमों को विरुद्ध है तथा इसी के साथ पंचायत द्वारा पूर्व पश्चिम 41 फीट उत्तर दक्षिण 66 फीट क्षेत्रफल 300.66 वर्गगज का विनियमितीकरण करते हुए कुल 1567.25 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया। जबकि पंचायत एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। मालीराम द्वारा जो नक्शा बनाकर दिया गया था व उसमें जो सीमाएं दर्शायी गयी, उन्ही को पंचायत द्वारा मिलीभगत मानते हुए पट्टा नवीनीकरण कर दिया गया, उक्त पट्टे में न तो खसरा नम्बर है, ना ही कौनसे खसरा की भूमि में पट्टा

District
Muzaffarpur

दिया गया, ना ही सरपंच द्वारा कौनसी भूमि पर कब्जा है, कब्जे का हवाला नहीं दिया गया, ना ही मौके पर जाकर कोई नक्शा बनाया गया, ना ही सीमाएं दर्शायी गयी, ना ही कोई आपत्ति आमंत्रित की, ना ही सार्वजनिक स्थल पर कोई सूचना प्रकाशित की, ऐसी स्थिति में पट्टा नवीनीकरण का आदेश स्वतः ही अपास्तनीय है। मालीराम के न तो पूर्व में कच्चे मकानात थे ना कोई डण्डा था, ना कोई डोली थी, ना कोई कब्जा था, ना ही कहीं कोई अस्तित्व था। पंचायत से मिलीभगत करके पट्टा नवीनीकरण करवाया है और अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है, केवल मात्र निगरानीकर्ता का ही कब्जा है। मालीराम ने पट्टा नवीनीकरण करवाने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती मधु कवर को जरिये विक्रय पत्र 31.08.2021 को बेचान कर दिया। जब पट्टा ही अवैध रूप से जारी किया गया है और अवैध रूप से नवीनीकरण किया गया है ऐसी स्थिति में जो विक्रय पत्र किया गया वह सुओमोटो ही अपास्तनीय है। बहस के समर्थन में 2017(2) DNJ Raj- Page 668 Jabbar Sing Rajput Vs State of Rajasthan, 2012(3) DNJ page 1399, एवं 2017(2) DNJ Raj- Page 7301 Mangilal Meghwal V/s State of Rajasthan के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं।



अन्त में निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा नवीनीकरण की कार्यवाही को अपास्त किया जावे।

गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि जिस पट्टे के नवीनीकरण को स्थगित करने के लिये निगरानी प्रस्तुत की है उस पट्टे का नवीनीकरण 21.08.1991 को किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी 2022 में प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता भूखण्ड का पडौसी है। इसलिये प्रस्तुत निगरानी नवीनीकरण के 31 वर्षों के बाद मनगढंत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत निगरानी में निगरानी कर्ता का कोई हित प्रभावित नहीं हुआ है, ना ही निगरानी में कहीं वर्णित किया गया है कि उक्त नवीनीकरण से निगरानीकर्ता का कोई हित प्रभावित हुआ हो अथवा उसका हित रहा हो। निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में कहीं अंकित नहीं किया है कि उसका उक्त भूखण्ड पर कब्जा है या उसकी सीमाओं से छेड़छाड़ की गई है। इस कारण प्रस्तुत निगरानीकर्ता का उक्त निगरानी पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। निगरानीकर्ता ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत निगरानी प्रस्तुत की है। दोनों में निगरानी प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है ना ही उक्त प्रावधान लागू होते हैं। अधिनियम 1994 व नियम 1996 दोनों लागू ही नहीं होते हैं क्योंकि पट्टे का नवीनीकरण 1991 में किया गया है। निगरानीकर्ता को उक्त पट्टे के नवीनीकरण के विरुद्ध धारा 61 के तहत पंचायत समिति में अपील प्रस्तुत करनी थी और उसे सिविल कोर्ट में कार्यवाही करनी थी। प्रस्तुत निगरानी पट्टे के नवीनीकरण को स्थगित करने के लिये प्रस्तुत की गई है। नया पट्टा जारी नहीं किया गया है, ना ही निगरानीकर्ता का किसी प्रकार से हित प्रभावित हुआ है। यदि पंचायत समिति द्वारा नया पट्टा जारी किया जाता तो भूखण्ड के पडोसियों का आपत्तियां जारी किया जाना आवश्यक था। 31 वर्षों तक किसी ग्रामवासी या पडौसी को कोई आपत्ति नहीं रही है। स्वयं निगरानीकर्ता ने भी कोई आपत्ति पंचायत समिति में प्रस्तुत नहीं की है, ना ही कोई दरतावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। निगरानीकर्ता ठिकाना लालासर द्वारा जागीर के समय बालु व चौथा पुत्र चन्द्रा जोशी का वारीस नहीं है। जब ठिकाना लालासर द्वारा जारी पट्टे में दो पेड़ों का हवाला नहीं दिया गया है तो पंचायत समिति द्वारा तो पट्टे का नवीनीकरण किया गया है। निगरानीकर्ता

द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें दो पेड रहे हो। निगरानीकर्ता ने झूठे कथनों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है। पंचायत समिति द्वारा पूर्णतया विधिक प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया गया है और जिसका रिकार्ड भी पंचायत समिति द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। निगरानीकर्ता ने पट्टा व नवीनीकरण तथा आदेश की प्रति किस प्रकार ओर कैसे प्राप्त की, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। निगरानीकर्ता ने दो अलग अलग बार जानकारी होना बताया है। पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराये जाने के इच्छुक हैं, वहां 300 वर्गगज से ज्यादा भूमि का विनियमितीकरण का प्रावधान है। प्रस्तुत निगरानी में वर्णित पट्टे का नवीनीकरण 1991 में किया गया है, विनियमितीकरण नहीं। गैरनिगराकार संख्या 2 बोनाफाईड परचेजर है तथा मौके पर काबिज है। अन्त में निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया है।

बहस के समर्थन में RRT 2015(2) page 967, RRT 2001(1) page 610, 2016(1) CT page 160 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। निगरानीकार द्वारा यह निगरानी पट्टा नवीनीकरण दिनांक 21.08.1991 के विरुद्ध 31 वर्ष पश्चात पेश की गई है। विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी तभी ग्राह्य है जब उसके प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सके। विलम्ब तभी क्षमा किया जा सकता है जब धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारण बताया जा सके। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानी के साथ प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगरानीधीन आदेश से निगरानीकार का किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं होने से निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। चूंकि निगरानीकार का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः मियाद अवधि कण्डोन न होने के कारण निगरानी चलने योग्य नहीं रहने के कारण निगरानीकार की निगरानी मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है। जब मियाद के बिन्दू पर ही निगरानी को खारिज कर दिया गया है तो निगरानी के सन्दर्भ में गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष देना न्यायोचित नहीं है। तदानुसार निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08-05-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल



(कुन्तल विशनोई)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (पुनर्जांच)
जयपुर